न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –59/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2023/72

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
1. चेतनराम पुत्र भगाराम उम्र 55 वर्ष 2. हेमी पत्नी भगाराम उम्र 75 वर्ष 3. जैनाराम दत्तक पुत्र नानगराम उम्र 52 वर्ष 4. सन्तु पुत्री जेठाराम (जेठूराम) उम्र 52 वर्ष जातियान मेघवाल निवासीगण मौलाभाकरी (ऊंटवालिया) तहसील व जिला नागौर, राज.		1. तहसीलदार, नागौर। 2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रोहिणी जरिये शाखा प्रबंधक। 3. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा नागौर जरिये शाखा प्रबंधक। 4. इण्डिय ऑवरसीज बैंक शाखा नागौर जरिये शाखा प्रबंधक ।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भूराराम बिकुनिया
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया, रेस्पोडेन्ट संख्या–4 की ओर से वकील श्री पवन श्रीमाली।

आदेश दिनांक 21-7-2023

अपीलान्ट द्वारा धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भगाराम, जेठूराम व नानगराम पुत्रगण नवलाराम भांबी के ग्राम उंटवालिया के खसरा नम्बर 346 रकबा 66 बीघा भूमि के धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़ा के संबंध में तहसीलदार(भू.अ.) नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.1989 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 22.02.2023 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन पत्र पर सुनवाई सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 व 3 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के नाम खातेदारी के खसरान व रकबा बाबत कोई विवाद नहीं है मगर मूल बंटवाड़ा का आदेश हुआ उस समय जिस अनुसार पक्षकारान काबिज थे व उसी अनुसार बंटवाड़ा करवाने का आवेदन किया मगर उस समय नजरी नक्शा तत्कालीन खातेदारो की जानकारी के नजरी नक्शा में एक दुसरे के बंट मौके के हालात के विपरीत दुसरी जगह दर्शित कर दिये और उतरोतर गलत इन्द्राजी राजस्व नक्शा में दर्ज होती गयी, जबकि वास्तविक बंट कब्जा की भूमि पर अपीलांटान ने अपने अपने हिस्से में लाखो रूपये खर्च करके कच्चा पक्का निर्माण करवाया हुआ है व भूमि को उपजाउ करने के लिए व विकास के लिए काफी राशि खर्च की है लेकिन मौके पर काबिज अनुसार बंट नहीं होने व नक्शा में गलत तरमीम के कारण उसे दुरुस्त करवाया जाना आवश्यक हुआ है जिसके लिए उक्त बंटवाड़ा आदेश को अपास्त/संशोधित करवाये बिना ऐसा होना संभव नहीं होने व ऐसी विधिक सलाह हाल ही में मिलने व राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 13.2.2023 को मिलने पर सारी जानकारी होने से जानकारी से अन्दर मियाद उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की जानी आवश्यक हुई है। चूंकि पूर्व बंटवाड़ा आवेदन में अपीलांटान पक्षकार दर्ज नहीं थे वर्तमान में अपीलांटान काबिज खातेदार है इस कारण उक्त आदेश से पीडित व प्रभावित पक्षकार है जिससे उक्त

कलक्टर नागौर

आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का विधिक अधिकार होने से इसकी अनुमति दी जाना न्याय संगत है। बटवारा के समय के खातेदार पोत हो चुके हैं जिनमें हम अपीलांटान/प्रार्थीगण है, उतराधिकारीगण होने का कथन करते हुए न्याय हित में अपीलांटान को उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस् उक्त बंटवाड़ा के संबंध में पारित निर्णय जैर अपील से किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील श्री पवन श्रीमाली ने भी अपीलांटस् की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा बंटवाड़ा के संबंध में पारित निर्णय जैर अपील से किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा बंटवाड़ा निर्णय जैर अपील में वर्णित खातेदारान के अपीलान्ट्स उत्तराधिकारीगण होना एवं उक्त भूमि पर काबिज खातेदार होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

वकील प्रार्थीगण/अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/अपीलांट ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के नाम खातेदारी के खसरान व रकबा बाबत कोई विवाद नहीं है मगर मूल बंटवाड़ा का आदेश हुआ उस समय जिस अनुसार पक्षकारान काबिज थे व उसी अनुसार बंटवाड़ा करवाने का आवेदन किया मगर उस समय नजरी नक्शा तत्कालीन खातेदारो की जानकारी के नजरी नक्शा में एक दुसरे के बंट मौके के हालात के विपरीत दुसरी जगह दर्शित कर दिये और उतरोतर गलत इन्द्राजी राजस्व नक्शा में दर्ज होती गयी, जबकि वास्तविक बंट कब्जा की भूमि पर अपीलांटान ने अपने अपने हिस्से में लाखो रूपये खर्च करके कच्चा पक्का निर्माण करवाया हुआ है व भूमि को उपजाउ करने के लिए व विकास के लिए काफी राशि खर्च की है लेकिन मौके पर काबिज अनुसार बंट नहीं होने व नक्शा में गलत तरमीम के कारण उसे दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हुआ है जिसके लिए उक्त बंटवाड़ा आदेश को अपास्त/संशोधित करवाये बिना ऐसा होना संभव नहीं होने व ऐसी विधिक सलाह हाल ही में मिलने व राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपिया दिनांक 13.2.2023 को मिलने पर सारी जानकारी होने से जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करना आवश्यक व न्याय संगत है। इसके अलावा यह भी कि कोई गलत आदेश हो जाता है, तो उसके विरूद्ध कभी भी अपील पेश की जा सकती है मियाद का बिन्दु लागु भी नहीं होता का कथन करते हुए वकील अपीलांट ने न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया व वकील श्री पवन श्रीमाली ने प्रकरण में भगाराम, जेठूराम व नानगराम पुत्रगण नवलाराम भांबी द्वारा ग्राम उंटवालिया के खसरा नम्बर 346 रकबा 66 बीघा भूमि के बंटवाड़ा के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वंय को उक्त भूमि के सह–खातेदार होना एवं उक्त भूमि में से भगाराम के खाते में 22 बीघा उतरादा, जेठूराम के खाते में 22 बीघा पूर्व की तरफ एवं नानगराम के खाते में 22 बीघा पश्चिम का भाग समझोते के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित की जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या–3 के बंटवाड़ा अनुसार नक्शा में भी दर्शाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर उक्तानुसार बंटवाड़ा करने के संबंध में खातेदारान भगाराम, जेठूराम व नानगराम ने अपने अंगूठा निशान किये भी किये है। इस प्रकार उक्त सह–खातेदारों की सहमति एवं पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के पश्चात बंटवाड़ा के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 01.06.1989 को पारित किया है। अब उक्त निर्णय जैर अपील दिनांक 01.06.1989 पारित होने के 32 वर्ष बाद उत्तराधिकारी अपीलांट्स का यह कथन कि "मूल बंटवाड़ा का आदेश हुआ उस समय जिस अनुसार पक्षकारान काबिज थे व उसी अनुसार बंटवाड़ा करवाने का आवेदन किया मगर उस समय नजरी नक्शा तत्कालीन खातेदारो की जानकारी के नजरी नक्शा में एक दुसरे के बंट

कलक्टर नागौर

मौके के हालात के विपरीत दुसरी जगह दर्शित कर दिये" पूर्णतया गलत, मनगढ़त एवं साक्ष्य से परे कथन है।

अपीलांटस्/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील निर्णय जैर अपील दिनांक 01.06.1989 को पारित होने के करीब 32 वर्ष पश्चात असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की है एवं उक्त असाधारण विलम्ब के संबंध में कोई युक्ति–युक्त ठोस कारण भी स्पष्ट नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में भगाराम, जेठूराम व नानगराम पुत्रगण नवलाराम भांबी द्वारा ग्राम उंटवालिया के खसरा नम्बर 346 रकबा 66 बीघा भूमि के बंटवाड़ा के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र में स्वंय को ग्राम उंटवालिया के खसरा नम्बर 346 रकबा 66 बीघा भूमि के सह–खातेदार होना, आपसी समझोते से मौके पर अलग कब्जा काश्त कर रहे है एवं कब्जे काश्त एवं समझोते के आधार पर बंटवाड़ा कर प्रत्येक सह–खातेदार कृषक के नाम से निम्नानुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित करने का निवेदन किया– उक्त भूमि में से भगाराम के खाते में 22 बीघा उतरादा, जेठूराम के खाते में 22 बीघा पूर्व की तरफ एवं नानगराम के खाते में 22 बीघा पश्चिम का भाग। उक्त प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या–3 में बंटवाड़ा अनुसार नक्शा भी दर्शाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर उक्तानुसार बंटवाड़ा करने के संबंध में खातेदारान भगाराम, जेठूराम व नानगराम ने अपने अंगूठा निशान किये भी किये है। इस प्रकार उक्त सह–खातेदारों की सहमति एवं पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के पश्चात बंटवाड़ा के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 01.06. 1989 को पारित किया है। अब उक्त निर्णय जैर अपील दिनांक 01.06.1989 पारित होने के 32 वर्ष बाद उत्तराधिकारी अपीलांट्स द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि ***"मूल बंटवाड़ा का आदेश हुआ उस समय जिस अनुसार पक्षकारान काबिज थे व उसी अनुसार बंटवाड़ा करवाने का आवेदन किया मगर उस समय नजरी नक्शा तत्कालीन खातेदारो की जानकारी के नजरी नक्शा में एक दुसरे के बंट मौके के हालात के विपरीत दुसरी जगह दर्शित कर दिये"*** अपीलांटस् के उक्त कथन सत्यता एवं साक्ष्य से परे है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा उक्त बंटवाडा के सह–खातेदार, अपीलान्ट्स के अनुसार फौत हो चुके है, और अपीलान्टस् उनके उत्तराधिकारीगण है। उक्त सह–खातेदारान ने उक्त बंटवाड़ा निर्णय जैर अपील दिनांक 01.06.1989 को पारित होने के बाद कभी भी अपने जीवन काल में यह आपत्ति कभी भी नहीं उठाई की उस समय नजरी नक्शा सह–खातेदारों की जानकारी के नजरी नक्शा में एक दूसरे के बंट मौके के हालात के विपरित दुसरी जगह दर्शित कर दिये। अब बंटवाड़ा निर्णय जैर अपील के पारित होने के 32 वर्ष पश्चात अपीलांटस् द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र में उपर्युक्तानुसार जो कथन किये है, वह कतई विश्सनीय नहीं है।

अपीलांटस्/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील निर्णय जैर अपील दिनांक 01.06.1989 को पारित होने के करीब 32 वर्ष पश्चात असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की है एवं उक्त असाधारण विलम्ब के संबंध में कोई युक्ति–युक्त ठोस कारण भी स्पष्ट नहीं किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम सारहीन होने से खारिज किया जाकर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा बंटवाड़ा के संबंध में पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 01.06.1989 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर